राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	नाम अधिवक्तागण
1.	3045/2025	हरीश वर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. उप आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, (द्वितीय),ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. धीरेन्द्र कुमार गोयल, सहायक अभियंता, पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर।	1.अपीलार्थी अधिवक्ता श्री आर.पी.सैनी 2.निजी प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह 3.सुश्री राधिका महरवाल, अति. राजकीय अधिवक्ता
2.	304/2025	धीरेन्द्र कुमार गोयल	1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय) ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. श्री हरीश वर्मा, सहायक अभियंता, पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर।	1. अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह 2. निजी प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री आर. पी. सैनी 3. सुश्री राधिका महरवाल, अति. राजकीय अधिवक्ता

आदेश की दिनांक : 25.07.2025

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपीलों की ग्राह्यता पर सुनवाई की गई। दोनों उक्त अपीलों के तथ्य आपस में अन्तर्विहित होने के कारण इन्हें एक साथ एक ही निर्णय से निर्णित किया जा रहा है।

अपीलवार स्थिति निम्नानुसार हैः–

अपील संख्या 3045/2025 हरीश वर्मा

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी हरीश वर्मा ने प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.06.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी, जो सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है, का स्थानान्तरण पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर से पंचायत समिति कोटखावदा, जयपुर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश प्रतिबंध अवधि के दौरान जारी किया गया है एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम–289 का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। अपीलार्थी पंचायती राज विभाग का कार्मिक है। जिला स्थापना समिति के अनुमोदन के बिना आलौच्य आदेश जारी किया गया है, जो नियम 289 का उल्लंघन है। अपीलार्थी के स्थान पर किसी को नहीं लगाया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप–1) विभाग ने परिपत्र दिनांक 04.01.2023 (अनुलग्नक–2) जारी कर राज्य सरकार के सभी

अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर दिनांक 15.01.2023 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। उक्त प्रतिबंध अवधि के बावजूद अपीलार्थी का अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया है, जो गलत एवं विधि विरूद्ध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.06.2025 (अनुलग्नक–1) को स्थगित किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रखा जावे।

अपील में श्री धीरेन्द्र कुमार गोयल ने पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र पर सुना गया। श्री गोयल का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील में बतौर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 संयोजित किया गया।

इस अपील में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 धीरेन्द्र कुमार गोयल की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के संबंध में जो आदेश दिनांक 06.06.2025 पारित किया गया है, उसके द्वारा अपीलार्थी को पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर से पंचायत समिति कोटखावदा में लगभग 15–20 कि.मी. की दूरी पर लगाया गया है, जिस आदेश में किसी भी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। अपीलार्थी का यह तर्क कि अपीलार्थी को पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम–289 का उल्लंघन करते हुए स्थानान्तरित किया गया है, उक्त नियम अपीलार्थी के प्रकरण पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा अपीलार्थी ने अपनी अपील में प्रतिबंध अवधि में स्थानान्तरण किये जाने का कथन किया है, जबकि उक्त आदेश दिनांक 06.06.2025 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है और राज्य सरकार के स्तर से जारी किया गया है। निजी प्रत्यर्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने गलत तथ्य अंकित किया है कि अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी को नहीं लगाया गया है व पद रिक्त है। वास्तविक तथ्यों को माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर में सहायक अभियंता के पूर्व में दो पद स्वीकृत थे। इसके पश्चात दिनांक 06.10.2023 को वित्त विभाग की आईडी दिनांक 06.10.2023 द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अभियंता संवर्ग में नवीन पदों का सृजन एवं सवंर्ग पुनर्गठन किये जाने की सहमति के फलस्वरूप केडर पदों का पुनर्गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत सहायक अभियंता के पूर्व में 598 स्वीकृत पदो के स्थान पर 502 पदों को संशोधित कर स्वीकृति दी गई। पूर्व में ब्लॉक स्तर पर दो सहायक अभियंता के पद स्वीकृत थे उसके आधार पर पंचायत समिति सांगानेर जयपुर में दो सहायक अभियंता कार्यरत थे। उसके पश्चात प्रत्येक ब्लॉक में एक सहायक अभियंता का पद रखा गया और जिला मुख्यालय पर दो पद रखे गये। उक्त संशोधन के पश्चात पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर में सहायक अभियंता का एक ही पद रह गया जिस पर अपीलार्थी व निजी

प्रत्यर्थी संख्या 3 धीरेन्द्र कुमार गोयल कार्यरत थे। प्रत्यर्थी संख्या–3 दिनांक 22 फरवरी, 2024 से उक्त पद पर कार्यरत था और अपीलार्थी हरिश वर्मा 15 मार्च, 2024 से उक्त पद पर कार्यरत था। अपीलार्थी पदस्थापन स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या 3 धीरेन्द्र कुमार गोयल से कनिष्ठ कर्मचारी था। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा जिला परिषद जयपुर से पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर में लगाया गया था जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 को 22 फरवरी, 2024 से उक्त पद पर कार्यरत था। अपीलार्थी पदों को कम करने के कारण पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर में अधिशेष हो गया था इसलिए उसका स्थानान्तरण पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर से दिनांक 09.01.2025 द्वारा कर दिया गया था क्योंकि एक पद के विरूद्व दो सहायक अभियंता कार्यरत हो गये थे जिससे उनके वेतन दिये जाने में परेशानी हो रही थी। अपीलार्थी का दिनांक 09.01.2025 के द्वारा जिला परिषद जयपुर में लगाया गया लेकिन अपीलार्थी ने जिला परिषद जयपुर में कार्यग्रहण नहीं किया और आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2025 के द्वारा अपीलार्थी को स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए यथावत पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 धीरेन्द्र कुमार गोयल के स्थान पर पदस्थापित कर दिया और उत्तरदाता प्रत्यर्थी संख्या 3 को पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर से पंचायत समिति किशनगंज, बारां स्थानान्तरण कर दिया। 14 जनवरी, 2025 के आदेश द्वारा अपीलार्थी ने निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के स्थान पर पुनः पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर में अपना स्थानान्तरण करवा लिया था। उक्त आदेश के विरूद्व निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 ने एक अपील संख्या 304/2025 प्रस्तुत की जिसमें माननीय अधिकरण ने बहस सुनने के पश्चात इस आधार पर स्थगन दिया कि निजी प्रत्यर्थी के पक्ष में दिनांक 14 जनवरी, 2025 का आदेश पारित कर अपील में निजी प्रत्यर्थी हरिश वर्मा व वर्तमान अपील में अपीलार्थी को लाभ देने की दृष्टि से किया गया था। यह मानते हुए उत्तरदाता प्रत्यर्थी संख्या 3 के पक्ष में माननीय अधिकरण ने दिनांक 24.01. 2025 को स्थगन प्रदान किया।

अपीलार्थी ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को माननीय अधिकरण से छिपाते हुए अपील प्रस्तुत की है जबकि निजी प्रत्यर्थी की अपील संख्या 304/2025 में अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी के रूप में था और उसे अपील की तामिल भी हो चुकी है, समस्त तथ्यों की जानकारी होने के पश्चात भी अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है इसलिए अपीलार्थी की अपील इस आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>अपील संख्या 304/2025 धीरेन्द्र कुमार गोयल</u>

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी धीरेन्द्र कुमार गोयल ने प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा अपीलार्थी, जो

सहायक अभियंता के पद पर पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर में कार्यरत है, का स्थानान्तरण पंचायत समिति, किशनगंज, जिला बारां में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 हरीश वर्मा का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 09.01.2025 के द्वारा पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर से जिला परिषद जयपुर में किया गया था। जहां पर निजी प्रत्यर्थी ने कार्यग्रहण नहीं किया तथा आलौच्य आदेश दिनांक 14.01.2025 के द्वारा पंचायत समिति सांगानेर जिला जयपुर से जिला परिषद जयपुर में स्थानान्तरणाधीन होना मानते हुए पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर में अपीलार्थी के स्थान पर स्थानान्तरण किया गया, जो निजी प्रत्यर्थी को अनुचित रूप से समंजित करने के लिए किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 20.02.2024 की पालना में पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर में दिनांक 22.02.2024 को कार्यग्रहण किया, तब से अपीलार्थी लगातार पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी के कार्यग्रहण के समय पंचायत समिति सांगानेर में सहायक अभियंता के दो पद स्वीकृत थे। उसके पश्चात आदेश दिनांक 06.10.2023 के द्वारा पंचायत समितियों में पदों का पुर्नगठन करते हुए प्रत्येक ब्लॉक में एक सहायक अभियंता का पद रखा गया। उस समय पंचायत समिति सांगानेर, ब्लॉक सांगानेर में अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 कार्यरत थे। प्रत्यर्थी संख्या 3 श्री हरीश वर्मा 15 मार्च, 2024 से उक्त पद पर कार्यरत था। प्रत्यर्थी संख्या 3 श्री हरीश वर्मा पदस्थापित स्थान पर अपीलार्थी से कनिष्ठ कर्मचारी था। पदों के पुनर्गठन के पश्चात अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 3 श्री हरीश वर्मा पंचायत समिति सांगानेर में कार्य करते रहे लेकिन जब वेतन संबंधी परेशानी उत्पन्न हुई तो दिनांक 18.12.2024 के पत्र द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति सांगानेर ने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर को पत्र लिखकर यह मार्गदर्शन चाहा कि पदो के पुनर्गठन के पश्चात प्रत्येक ब्लॉक में एक सहायक अभियंता का पद स्वीकृत है जबकि पंचायत समिति सांगानेर में दो सहायक अभियंता श्री धीरेन्द्र कुमार गोयल व श्री हरीश वर्मा कार्यरत है इसलिए दिसम्बर, 2024 से किस कर्मचारी का वेतन आहरित किया जाये (अनुलग्नक–5)। पंचायत समिति सांगानेर ब्लॉक सांगानेर में एक पद के विरूद्ध दो सहायक अभियंता कार्यरत थे इसलिए विभाग द्वारा कनिष्ठतम सहायक अभियंता प्रत्यर्थी संख्या 3 श्री हरीश वर्मा का आदेश दिनांक 09.01.2025 (अनुलग्नक–6) के द्वारा पंचायत समिति सांगानेर से जिला परिषद जयपुर में स्वीकृत पद पर स्थानान्तरण कर दिया। चुनौती आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर से पंचायत समिति किशनगंज, बारां लगभग 350 किलोमीटर दूर कर दिया गया। उक्त आदेश स्पष्ट रूप

से प्रत्यर्थी संख्या 3 श्री हरीश वर्मा को समायोजित करने की दृष्टि से किया गया है। पांच दिन पूर्व ही श्री हरीश वर्मा का स्थानान्तरण पंचायत समिति सांगानेर, जयपुर से जिला परिषद जयपुर में किया गया था क्योंकि पंचायत समिति सांगानेर में एक पद के विरूद्ध दो सहायक अभियंता कार्यरत थे। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने जिला परिषद जयपुर में कार्यग्रहण नहीं किया और अपना स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर करवा लिया। चुनौती आदेश दिनांक 14.01.2025 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि श्री हरीश वर्मा का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है अर्थात पंचायत समिति सांगानेर में सहायक अभियंता का एक ही पद स्वीकृत है जहां अपीलार्थी कार्य कर रहा था और प्रत्यर्थी संख्या 3 श्री हरीश वर्मा को अधिशेष व कनिष्ठ कर्मचारी होने के कारण उसका स्थानान्तरण आदेश दिनांक 09.01.2025 के द्वारा जिला परिषद जयपुर में कर दिया गया था और अब चुनौती आदेश के द्वारा पुनः प्रत्यर्थी संख्या 3 श्री हरीश वर्मा को समायोजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी के स्थान पर पंचायत समिति सांगानेर में स्थानान्तरण किया गया है जो प्रारम्भ से ही अनुचित, अवैध, विधि विरूद्व व प्रत्यर्थी संख्या 3 को समायोजित करने की दृष्टि से किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे यह भी कथन रहा है कि अपीलार्थी की जन्म तिथि 18.02.1966 है और वह अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक फरवरी, 2026 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो जायेगा। अपीलार्थी की सेवानिवृति में लगभग 13 माह की समयावधि शेष है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना अनुचित व अवैध है। माननीय उच्च न्यायालय ने पुष्पा मेहता बनाम राज्य में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम समय हो तो ऐसे कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं किये जावे।

अपील में निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 हरीश वर्मा के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 14.01.2025 को माननीय अधिकरण के समक्ष चुनौती दी, जिस पर अधिकरण ने स्थगन आदेश दिनांक 24.01.2025 जारी कर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पंचायत समिति सांगानेर में कार्यरत रखा है। ऐसे में अपीलार्थी का यह तर्क कि निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, पूर्णतः गलत है। अपीलार्थी ने यह तथ्य गलत अंकित किया है कि अपीलार्थी सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है, जबकि अपीलार्थी कनिष्ठ अभियंता है, जिसकी पुष्टि आदेश दिनांक 27.03.2025 (अनुलग्नक–आर/1) द्वारा होती है, जो कनिष्ठ अभियंता की वरिष्ठता सूची है। इसके अलावा अपीलार्थी कनिष्ठ अभियंता के पद का वेतन आहरित कर रहा है (अनुलग्नक–आर/2)। इस प्रकार अपीलार्थी ने अपनी अपील में गलत तथ्य अंकित किए हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने निजी प्रत्यर्थी के जवाब का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.01.2025 में अपीलार्थी को सहायक अभियंता दर्शाते हुए किशनगंज, बारां स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में सात माह का समय ही शेष रहा है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 31.08.2018 (अनुलग्नक–8) के द्वारा स्वयं की वेतन श्रृंखला में सहायक अभियंता के पद पर लगाया गया है। इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी सहायक अभियंता नहीं है। इस प्रकार पंचायत समिति सांगानेर में सहायक अभियंता के स्वीकृत दो पदों में से एक पद कम किये जाने पर अपीलार्थी से कनिष्ठतम कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जाना उचित है।

उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया। राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि दोनों स्थानान्तरण आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत नियमानुसार किए गए है। अन्य पक्षकारों की तरफ से अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराया गया।

प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेखों से यह प्रकट होता है कि हरीश वर्मा का आदेश दिनांक 09.01.2025 द्वारा पंचायत समिति सांगानेर से जिला परिषद जयपुर स्थानान्तरण किया गया एवं आदेश दिनांक 14.01.2025 द्वारा श्री वर्मा को पंचायत समिति सांगानेर से जिला परिषद जयपुर में स्थानान्तरणाधीन दर्शित कर पुनः पंचायत समिति सांगानेर में पदस्थापित किया एवं श्री धीरेन्द्र कुमार गोयल का पंचायत समिति सांगानेर से पंचायत समिति किशनगंज, बारां स्थानान्तरण कर दिया, जिसके विरूद्ध श्री गोयल ने अधिकरण के समक्ष अपील (अपील संख्या 304/2025) प्रस्तुत करने पर अधिकरण ने श्री गोयल का किशनगंज, बारां में किए गए स्थानान्तरण का क्रियान्वयन आदेश दिनांक 24.01.2025 द्वारा स्थगित किया गया। जिस कारण पंचायत समिति सांगानेर में एक ही पद सहायक अभियंता का स्वीकृत होने एवं इसके विरूद्ध दो सहायक अभियंता कार्यरत हो गये।

यह सही है कि श्री गोयल कनिष्ठ अभियन्ता है, जो विभाग में पातेय वेतन पर सहायक अभियंता पद पर कार्यरत है एवं श्री वर्मा नियमित सहायक अभियंता है। इसके बाद प्रत्यर्थी विभाग ने श्री वर्मा का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.06.2025 के द्वारा सांगानेर से पंचायत समिति कोटखावदा कर दिया, जिसके विरूद्ध श्री वर्मा ने अधिकरण में अपील (अपील संख्या 3045/2025) दायर की है। यह सही है कि आदेश दिनांक 06.06.2025 स्थानान्तरण पर प्रतिबंध अवधि में जारी किया एवं उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वीकृति का कोई अंकन नहीं है। जहां तक यह आदेश पंचायती राज नियम के नियम 289 के उल्लंघन का विषय है। 289 के प्रावधान राज्य सरकार के

उपर लागू नहीं होते है। अतः नियम 289 के उल्लंघन का कथन मानने योग्य नहीं है। दोनों कार्मिक समुचित समय से पंचायत समिति सांगानेर में पदस्थापित है। श्री वर्मा के संदर्भ में जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.06.2025 प्रतिबंध अवधि में बिना सक्षम स्वीकृति के जारी होना पाया जाता है। श्री वर्मा नियमित रूप से सहायक अभियंता है एवं श्री गोयल पातेय वेतन पर सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। अतः श्री वर्मा का स्थानान्तरण आदेश अपास्त योग्य है। श्री गोयल जो पातेय वेतन के आधार पर सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है, का पंचायत समिति सांगानेर से पंचायत समिति किशनगंज, बारां स्थानान्तरण किया गया है। श्री गोयल की सेवानिवृत्ति में एक साल से कम अवधि शेष है। ऐसे में जिले से बाहर स्थानान्तरण की दशा में पेंशन परिलाभों में व्यवधान उत्पन्न होगा। अतः अपील संख्या 3045/2025 में श्री वर्मा के संबंध में जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.06.2025 को एवं श्री गोयल के संबंध में जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.01.2025 को अपास्त किया जाता है तथा अपील संख्या 304/2025 में अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 24.01.2025 को प्रावकाश (Vacate) किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार दोनों कार्मिकों का सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त नये सिरे से स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 3045/2025 की पत्रावली पर रखी जाकर छायाप्रति अपील संख्या 304/2025 की पत्रावली पर रखी जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य